

प्रेषक,

मो० वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन,
जनपद-मऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-163/2022/आरएफ576/001-ई-1666265-PDDUNVY, दिनांक-16.12.2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट भूमिगत पाइप, केबिल लगाने का कार्य हेतु नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ को कुल 03 अलग-अलग कार्यों के लिए क्रमशः ₹0 194.85 लाख, ₹0 151.24 लाख एवं ₹0 130.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 476.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि क्रमशः ₹0 97.42 लाख, ₹0 75.62 लाख एवं ₹0 65.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 238.04 लाख अवमुक्त की गयी है।


2. उक्त धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, मऊ द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, मऊ की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ को द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि क्रमशः ₹0 97.43 लाख, ₹0 75.62 लाख एवं ₹0 65.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 238.05 लाख (₹0 दो करोड़ अड़तीस लाख पांच हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों निकायों को सहायता-05-पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।
2. संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्धत कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. शासनादेश संख्या-163/2022/आरएफ576/001-ई-1666265-PDDUNVY, दिनांक-16.12.2022 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
5. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तभी द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।


3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,38,05,000 (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो० वसिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 16 /2023/ RF-568 /नौ-9-2023/001-E-1700470, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, मऊ।
5. कोषाधिकारी, मऊ।
6. निजी सचिव, मा० मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, 30प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(मो० वसिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-14/08/2023

प्रेषण संख्या:- 16
आवंटन आदेश संख्या:- 001-16-2023-RF568-9-9-2023-001-E-1700470
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मऊ-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	23805000	23805000
		प्रगामी	23805000	23805000
	योग	वर्तमान	23805000	23805000
		प्रगामी	23805000	23805000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तीस लाख पाँच हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तीस लाख पाँच हजार


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव